बिहार में कानून का राज है :– मुख्यमंत्री

पटना 15 फरवरी, 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि बिहार में कानून का राज है।

पत्रकारों द्वारा विधायक श्री राजबल्लभ यादव के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी कानूनी कार्रवाई हो रही है। वे कानून के कठघरे में खड़े होंगे। स्पीडी ट्रायल होगा। कोई कानून के साथ खिलवाड़ न करे। कानून को तोड़ने वाले कितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, उनके साथ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2016 को विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा में मैंने निर्देश दिया था कि पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में एक हेल्पलाइन नंबर 24x7 कार्यरत रहेगा। राज्य में कहीं से भी लोग यहॉ शिकायत कर सकते हैं। सोशल मीडिया एवं अन्य तरीके से प्राप्त सूचना पर भी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अपराध अनुसंधान में सी0सी0टीवी बहुत मददगार साबित हो रहा है। सी0सी0टीवी पूरे बिहार में अधिष्ठापित किया जाय। अंगरक्षकों का दुरूपयोग रोकने के लिये वर्तमान जिलास्तरीय समिति की जगह राज्यस्तरीय समिति का गठन एक समय सीमा के अन्तर्गत किया जाय। इसका प्रबंधन राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा। पुलिस भर्ती में सुधार करते हुये मैनुअल में आवश्यक संशोधन किया जाय। शराबबंदी की स्थिति में ड्रग एवं अवैध शराब की संभावना के आलोक में आसूचना संग्रह कर आवश्यक कार्रवाई एवं तैयारी किया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा थानों में पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण की व्यवस्था के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा निर्देश दिया कि इसके लिये वस्तुपरक मार्गदर्शिका तैयार कर उसे लागू की जाय, इसमें अगर नियम अथवा पुलिस मैनुअल में संशोधन की आवश्यकता है तो इसके लिये प्रस्ताव तुरंत लाया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा कार्यान्वित वृहत परियोजनाओं में एक पुलिस पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाय। जिनको संबंधित परियोजना का तेजी से क्रियान्वयन कराने के लिये नियमित अनुश्रवण कराने का दायित्व दिया जाय। कई बी0एम0पी0 बटालियन के भूमि के अभाव में मुख्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। अतः इस संबंध में निदेश दिया गया है कि जिन स्थानों पर पूर्व से पुलिस के पास भूमि उपलब्ध है, वहॉ पर ही संबंधित बी0एम0पी0 के मुख्यालय के लिये स्थान निर्धारित कर निर्माण की कार्रवाई की जाय, जिन थानों के पास भूमि के अभाव में अपना भवन नहीं है, वहॉ पर भूमि अर्जन की कार्रवाई परपेचुअल लीज **(Perpetual Lease)** की राज्य सरकार की नीति के आधार पर करने का सुझाव दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने सात निश्चयों में से एक निश्चय को पूरा किया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। कांस्टेबुल एवं ए0एस0आई0 के भर्ती में पूर्व से ही महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। पुलिस एवं थाना स्तर पर महिलाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था आवश्यक है। महिला पुलिसकर्मियों के लिये तुरंत शौचालय निर्माण के विभिन्न मॉडल (इकाई वार) तैयार करा लिया जाय और उसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देते हुये विभागीय रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन थाना स्तर पर सुनिश्चित कराया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने हम पर तीसरी बार भरोसा किया है। कुछ लोगों का काम ही है बोलना। हम उसे बोलने से नहीं रोक सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में लाख दुष्प्रचार के बावजूद किस प्रकार के माहौल थे। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को होने वाली बैठक में हम दिन भर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठेंगे। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलावार, थानावार, शीर्षवार अपराधों एवं अनुसंधान हेतु लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। साथ ही जिलावार, थानावार विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों एवं स्पीडी ट्रायल की भी समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि एक अप्रील से बिहार में शराबबंदी लागू की जायेगी। एक मई 2016 से लोक शिकायत निवारण कानून लागू होने जा रही है। पहली बार देश में जनता को शिकायत दूर करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र सरकार राज्य का राज्यांश बढ़ा रही है तथा केन्द्रांश घटा रही है।

पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोन्नति में एस0सी0, एस0टी0 के आरक्षण के हमलोग नीतिगत तौर पर समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम विधि सम्मत तरीके से मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश को संवैधानिक रूप से मानेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इशरत जहॉ को बिहार की बेटी नहीं कहा था। जो लोग मेरे मुॅह में डालकर बोले हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। बिहार के आर्किलोजिकल साइट के खनन से विश्व इतिहास के कई पन्ने बाहर आयेंगे। उन्होंने कहा कि बलिराजगढ़ मधुबनी में 130 एकड़ का पुरातात्विक स्थल है। उसका दीवार दो हजार साल पुराना है। उन्होंने कहा कि 1962 में बलिराजगढ़ में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। यहॉ अब तक रूक–रूक कर तीन बार कुछ दिनों के लिये उत्खनन कार्य हुआ है। उसके उत्खनन से इतिहास के नये पन्ने जुड़ेंगे। बिहार में विश्व के ज्ञात इतिहास को बदल देने के पुख्ता सबूत हैं, इसके बावजूद भी उत्खनन का कार्य रोक दिया गया। पुरातात्विक स्थल के महत्व को लेकर हम गंभीर हैं। तेल्हाड़ा में बिहार सरकार ने अपने बलबूते खुदाई की। वहॉ सीमित खुदाई में प्राचीन विश्वविद्यालय का पता चला है, जो पहली शताब्दी का है। तेल्हाड़ा में ए0एस0आई0 से अनुमति मिलने के बाद ही राज्य सरकार ने खुदाई प्रारंभ की थी। खुदाई रोक दी गयी। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बातचीत कर ए0एस0आई0 से अनुमति लेकर खुदाई करती है लेकिन साल दो साल के बाद खुदाई को रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नालंदा से प्राप्त खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पॉचवीं सदी का है। उन्होंने कहा कि मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। फाइनल रिपोर्ट तब बनेगा, जब खुदाई पूरी तौर पर हो जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जे0एन0यू0 में लोकतंत्र की गला घोटनें की कोशिश हो रही है। वामपंथियों की देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठी। जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी, तब से इसकी खासियत है कि विभिन्न विचारधाराओं पर इसमें चर्चा होती है। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विचाराधाराओं को मानने वाले स्टुडेंट एवं फैकल्टी मेम्बर हैं। विचार धाराओं पर चर्चा इस विश्वविद्यालय की स्वस्थ परंपरा रही है। इस विश्वविद्यालय से अकारण ही केन्द्र की नाराजगी है। जे0एन0यू0 छात्र संघ के अध्यक्ष अपने विचारों के प्रति दृढ़ एवं लोकतंत्र में आस्था रखने वाले युवा हैं। केन्द्र परंपरा को खत्म करना चाहती है। विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जे0एन0यू0 जैसी संस्था को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। देश में आपातकाल लगाये बिना केन्द्र सरकार देश पर अपना विचारधारा थोपना चाहती है। वैचारिक स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश हो रही है। सी0पी0आई0, सी0पी0एम0 के लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगे, इससे कोई सहमत नहीं

हो सकता, वे देशभक्त हैं। उनके विचारधारा से लोग असहमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने आरोप लगाये हैं, उन्हें प्रमाण पेश करना चाहिये। सी0पी0एम0 नेता श्री सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि प्रमाण दीजिये। ए0बी0वी0पी0 जे0एन0यू0 में अपना वैचारिक राजनीति थोपना चाहती है। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहूँगा कि अफजल गुरू के समर्थन में कश्मीर में निर्दलीय विधायक बार–बार विधानसभा में प्रस्ताव लाते रहे। उनसे एक नेता क्यों मिले। अगर उनसे मिले और यह खबर सही है तो उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गयी। वैचारिक स्वतंत्रता को समाप्त करना लोकतंत्र को गला घोटना है। यह सामान्य किस्म की बात नहीं है। रूटिन अपराध नहीं है। अगर उनका यही रवैया चलता रहा तो देश की जनता 2019 में बाहर कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो कहें देशभक्ति है और आपके खिलाफ बोले तो देशद्रोह। जब जैसा, तब तैसा नहीं चलेगा। आर्थिक मोर्चे पर विफल होने के कारण राष्ट्र भक्ति की अपनी परिभाषा थोपना चाहती है। विफलता छिपाने के लिये जे0एन0यू0 का मसला उठाया गया है।

आज के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न हिस्सों से आये हुये 57 महिला सहित 704 लोगों की सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं वन, श्रम संसाधन, लघु जल संसाधन, योजना एवं विकास, पर्यटन एवं भवन निर्माण से संबंधित समस्याओं से मुख्यमंत्री रू–ब–रू हुये। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिये संबंधित विभाग के मंत्रियों एवं प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया।

आज के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, लघु जल संसाधन तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री तेजप्रताप यादव, ऊर्जा एवं वाणिज्यकर मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, जल संसाधन एवं योजना विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा, उद्योग मंत्री श्री जयकुमार सिंह, सहकारिता मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता, परिवहन मंत्री श्री चन्द्रिका राय, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्री अवधेश कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री महेश्वर हजारी, कृषि मंत्री श्री राम विचार राय, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री चन्द्रशेखर, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री मदन सहनी, श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव नगर विकास श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव जल संसाधन श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव भवन निर्माण श्री दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव पथ निर्माण श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन श्री आमिर सुबहानी, सचिव ऊर्जा श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा सहित सभी संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, डी0जी0 निगरानी श्री रविन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

******